16879

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन : 78,19,224.00 रुपये।
स्टाम्प : 5,47,400.00 रुपये।

CHALLAN N.
N. 161134 30.12.10
N. 152528 31.12.10

मैं कि **महाराज सिंह** पुत्र श्री रतन सिंह निवासी ग्राम कचैड़ा वारसाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर (फरीक अव्वल, विक्रेता)।

एवम

मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 33 कम्युनिटी सेंटर न्यू फ्रेन्डस कालोनी नई दिल्ली द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त **पाठक** 33, कम्युनिटी सेंटर न्यू फ्रेन्डस कालोनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक दोयम/क्रेता)।

हि0 महाराज सिंह

For Uppal Chadha Hi-Tech Developers

Authorised Signatory

Tejendra Singh
Advocate
Civil Court GZB

Tejendra Singh
Civil Court

7019245/= 10,000/=

फीस .... [illegible]

उजरत 20 .... योग 10020/- 600

श्री महाराज सिंह ....

पुत्र श्री रतन सिंह .... पेशा खेती

निवासी ग्राम अशोकनगर [illegible]

ने कार्यालय सब रजिस्ट्रार दादरी जिला

गौतम बुद्ध नगर में आज दिनांक 21/12/10

समय मध्य 4 व 5 बजे प्रस्तुत किया।

सब रजिस्ट्रार दादरी
21/12/10

अ.नि. महाराज

[illegible] लेखपत्र का [illegible] स्वीकार किया

[illegible] 7019245 [illegible]

[illegible] उक्त श्री महाराज सिंह [illegible]

[illegible]

विक्रीत भूमि का विवरण

(1) स्थित ग्राम कचैडा वारसाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्व नगर (उ0प्र0), कृषि भूमि खाता नं0 463 के खसरा नं0 654 रकबा 0.5450 हैक्टे0 का पूर्ण भाग प्रथम पक्ष मालिक है। अनुसार खतौनी 1409–1414 फसली जिसका फरीक अव्वल (विक्रेता) पूर्णतया स्वामी व विक्रय अधिकारी संक्रमणीय भूमिधर कागजात दर्ज है, का बैनामा हाजा मैं विक्रय किया जा रहा है।

(2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। जिसका सरकारी सर्किल रेट 8000000/– रूपये प्रति हैक्टेयर है। लेकिन प्रथम पक्ष ने सौदा द्वितीय पक्ष से 1,43,47,200 प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन *78,19,224/*– रूपये (अठहत्तर लाख उन्नीस हजार दो सौ चौंबीस रूपये मात्र) मैं तय है और सरकारी स्टाम्प क्रय मूल्य पर ही अदा किया गया है।

(3) विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नहीं है। विक्रेता ने इस आशय का अपना श्रीमान् तहसीलदार से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है विक्रीत भूमि ग्राम समाज, भूदान, वक्फ, पट्टे आदि की तथा निष्क्रान्ति व शत्रु संपत्ति नहीं है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है विक्रीत भूमि विक्रय मैं स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(I) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।

(4) विक्रेता ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी व अपना जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र व विक्रीत भूमि से संबंधित बारह साला प्रमाण पत्र भी विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।

(5) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक मुझ फरीक अव्वल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक, भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। कही अन्य जगह आड, रहन, बय, हिबे, महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्वसरकारी व निजी रूप

For Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd

Authorised Signatory

विक्रेता/पक्षकार श्री प्रमोद [illegible]

[illegible]

[illegible]

सब रजिस्ट्रार [illegible]
31/12/10

अ.प्र. सहायक

[illegible]

साक्षी भले प्रतीत होते है चिन्ह
अंगुष्ठ नियमानुसार लिये गये है

उप निबन्धक
[illegible], गौतम बुद्ध नगर

आदि में ग्रस्त नहीं है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसी प्रकार का ड्यूज है। इस विक्रय भूमि से संबधित किसी भी प्रकार का विवाद–ग्रस्त मामला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वन ही लम्बित है।

(6) विक्रीत मिल्कियत उक्त के विक्रय में कोई दोष व त्रुटी नही है. हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित/उल्लिखत भूमि के संबध में मुझ विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक में कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय में पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व में न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है तथा न नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य में इस संबध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अव्वल व उनके वारिसान होगें।

(7) मुझ विक्रेता को विक्रय पत्र में वर्णित उक्त भूमि खाता नं0 463 के खसरा नं0 654 रकबा 0.5450 हैक्टे0 स्थित ग्राम कवैडा बारसाबाद परगना दादरी तहसील व जिला गौतमबुद्व नगर के अपने हिस्से पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। मुझ विक्रेता को वास्ते तरक्की काश्त एंव अन्य निजी आवश्यकता हेतू पैसों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रहीं है। अतः मुझ विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरजामंदी,शुद्व बुद्वि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक समैति से मय समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना, दाखिली–खारिजी, काश्त भराई, हर किस्म कब्जा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार मुझ विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि आदि को आज की तारीख में विक्रय धनराशी अंकन *78,19,224/–* रूपये (अठहत्तर लाख उन्नीस हजार दो सौ चौबीस रूपये मात्र) जिसके आधे अंकन **39,09,612/–** रूपये (उनतालीस लाख नौ हजार छ सौ बारह रूपये मात्र) होते है के एवज मे बहाथ फरीक दोयम क्रेता उपरोक्त मैसर्स उप्पल चढ्ढा हाईटेक

for Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

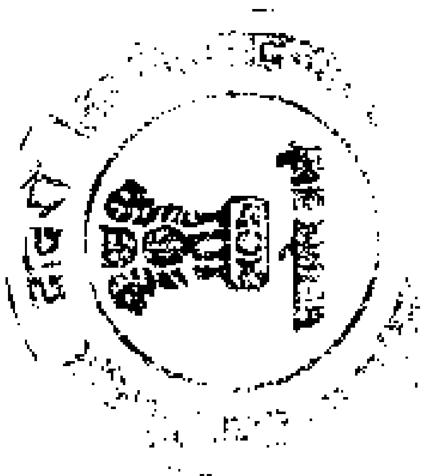

डवलपर्स प्रा0 लि0 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फ्रेन्डस कालौनी नई दिल्ली पैन नंबर AAACU7200M द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक 33, कम्यूनिटी सैंटर न्यू फ्रेन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी को बेच कर दिया है यानि कतई बेच दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशी मुझ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी विक्रय धनराशी बाकी नही रही है।

(8) विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये है उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालकाना प्रयोग में लावें।

(9) विक्रेता, विक्रीत भूमि की बावत समस्त कागजात मे बजरिये बैनामा दाखिल खारिज मालकागजात मे कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वंय दर्ज करवा सकते है तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर मुझ फरीक अव्वल से करा सकते है, मुझ फरीक अव्वल को कोई एतराज नहीं होगा।

(10) अतः अब विक्रय पश्चात विक्रीत भूमि की मिलकियत भूमि में निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबंध बाकी नही रहा और न कभी रहेगा।

(11) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विक्रेता की ओर कोई भार निकला ओर निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पडा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या वारिसान विक्रेता की दावेदारी या किसी कानूनी नुक्स आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूपसे जिम्मेदार होगे तथा क्रेता व उसके स्थानापन व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशी को मय हर्जे खर्चे प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता

For Unitech ... Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

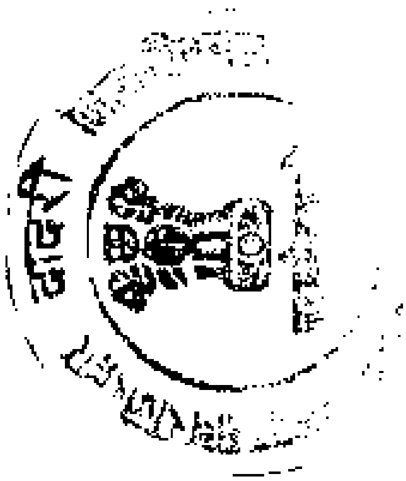

वारिसानकी चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते है जिस पर फरीक अव्वल/विक्रेता को कोई आपत्ति नही होगी।

(12) विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

(13) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुनकर पढ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

(14) विक्रेता ने विक्रीत भूमि रकबई **0.5450** हैक्टेयर, खाता नं0 463 के खसरा नं0 654 स्थित ग्राम कचैडा वारसाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशी प्राप्त कर ली है:—

(15) बैंक ऐक्सिस बैंक लि0 गाजियाबाद शाखा गाजियाबाद का चैक नंबर 368000 **अंकन *70,84,819/–*** रूपये (सत्तर लाख चौरासी हजार आठ सौ उन्नीस रूपये मात्र) व चैक नं0 367989 अंकन 1,34,405/– रू0 पी0एन0बी0, छपरौला, गौतमबुद्ध नगर व चैक नं0 367990

किशन आशीर्वाद

For Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

अंकन 6,00,000/–रू0 यूनियन बैंक आफ इण्डिया, डासना, गाजियाबाद दिनांकित 31.12.10 फरीक अव्वल द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कर ली गयी है।

For Uppal Chadha Hi-Tech Developers [illegible]

Authorised Signatory

(हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा)
फरीक अव्वल (विक्रेता)

(हस्ताक्षर / निशान
फरीक दोयम (क्रेता)

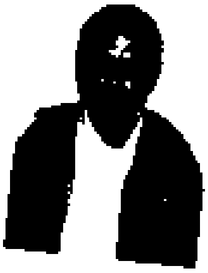

गवाह नं0 1 [illegible] S/o [illegible]
R/o [illegible]

गवाह नं0 2 [illegible] S/o [illegible]
R/o [illegible]

तहरीरी दिनांक: 31 12–2010 मसौदा राजेन्द्र सिंह एडवोकेट गाजियाबाद

Rajendra Singh
Advocate

सत्यमेव जयते [illegible]

बीस रुपये

रु.20

INDIA

NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 12AA 153029

Stamp duty paid in cash certificate in favour of–**M/S UPPAL CHADDHA HI-TECH DEVELOPERS PVT.LTD.,33,COMMUNITY CENTRE,NEW FRIENDS COLONY , NEW DELHI**

In pursuance of the order of the collector

N0…memo….,dated.30.12.10 passed under

Section 10-A of ~~the stamp~~ act.It is certified that an

amount of **Rs.1,09,000-00(Inwords Rs.One lacs nine thousand only)**

has been paid in cash as stamp duty in respect

of this instrument in the State bank of India/

Treasury/Sub treasury….**NOIDA**

By Challan No.,.**N161134**.. dated..**30.12.10**

A copy of which is annexed herwwith.

Dated 30.12.2010

Senior Treasury Officer

Gautam Budh Nagar

नं. 817 रु. 2016
में शामिल किया गया।
23 DEC 2010
रोकड़िया
★ कोषागार / गौतम बुद्ध नगर ★

M/S Uppal Chaddha Hitech Developers Pvt Ltd. Noida

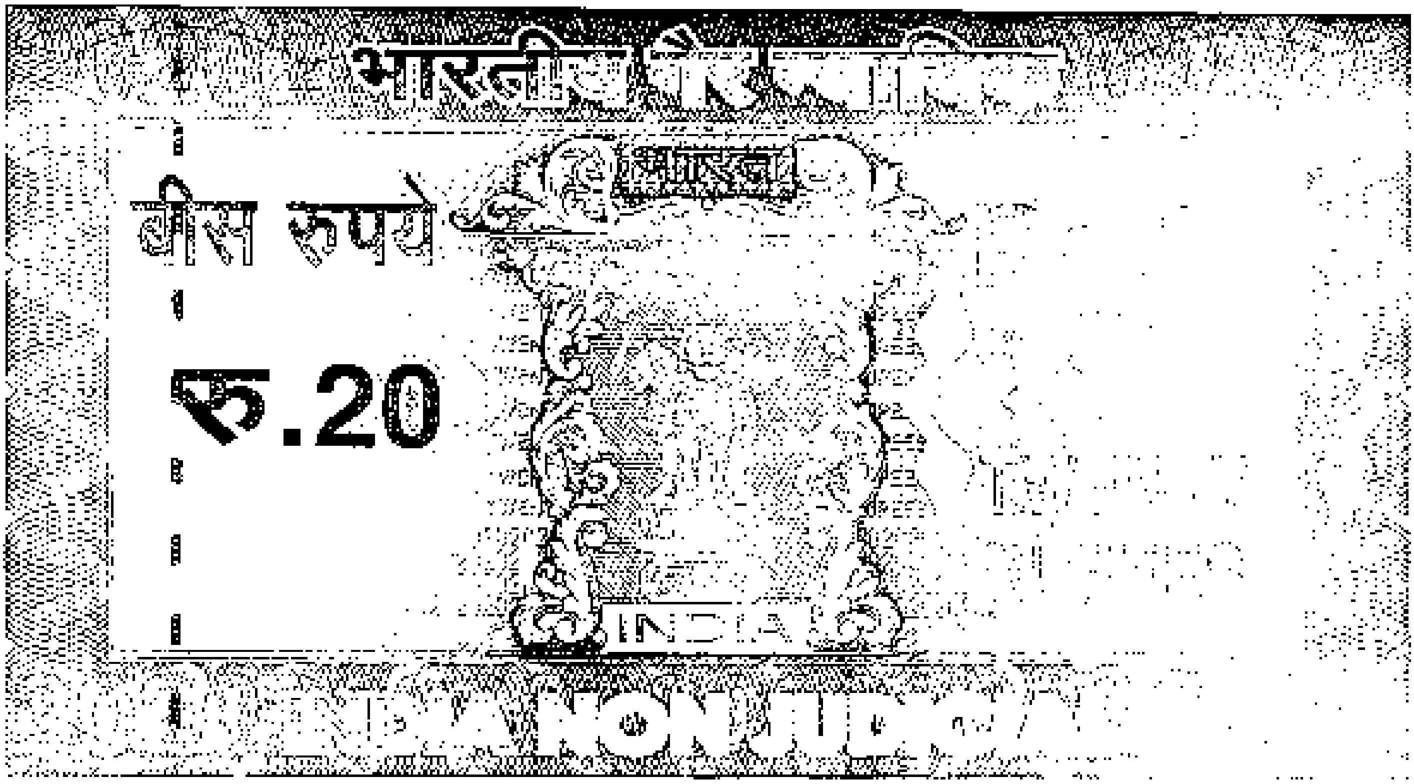

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12AA 153049

Stamp duty paid in cash certificate in favour of–M/S **UPPAL CHADDHA HI-TECH DEVELOPERS PVT.LTD.,33,COMMUNITY CENTRE,NEW FRIENDS COLONY , NEW DELHI**

In persuance of the order of the collector N0…memo….
dated.31.12.10 passed under Section 10-A of the
stamp act.it is certified that an amount of
Rs.4,62,000-00(Inwords Rs.Four lacs sixty two thousand only)
has been paid in cash as stamp duty in respect
of this instrument in the State bank of India/
Treasury/Sub treasury….**NOIDA**
By Challan No…**N152525**.. dated..**31.12.10**
A copy of which is annexed herwwith.

31.12.2010
Dated

Senior Treasury Officer
Gautam Budh Nagar

बही 1 क. 3899 में शामिल किया गया।

31 DEC 2010

रोकड़िया

★ कोषागार / गौतम बुद्ध नगर ★

M/S Uppal Chaddha Hitech Developers Pvt Ltd. N. Delhi

आज दिनांक 31/12/10 को बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3899 के पृष्ठ 385 से 398 पर क्रम संख्या 14879 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उद्धरण खतौनी

ग्राम कूटांक : 710201160 93 | ग्राम का नाम : कचेड़ा वारसाबाद | परगना : दादरी | तहसील : दादरी

जनपद : गौतमबुद्ध नगर | फसली वर्ष : 1409-1414 3215 | भाग : I

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	मौलिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आदेश या उसका संख्या उसकी तिथि तथा विवरण सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद
1	2			3	4	5	6	7-12
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में है।							
00463	रतन सिंह	रिसाल	नि. ग्राम	पू.1402 पू.1402	654 745	0.5450 0.2580		1410फ. आदेशानुसार [illegible] 15.2.03 को आदेश हुआ कि खाता सं.463,50[illegible] मृतक रतन सिंह के स्थान पर महाराज सिंह पुत्र रतन सिंह उत्तराधिकारी का नाम बतौर भूमिधर दर्ज हो। ह.अ. 15.2.03 टिप्पणी-भारत सरकार की अधिसूचना सं.971 दि.2-4-07 के अनुसार ख.नं. 654/0.0020 [illegible] पुर्निगाल गैस पाईप लाईन [illegible] अधिकार इंडियन [illegible] [illegible] गया है। ह.अ.का.8-7-08/दि.4-9-2008 --- प्रा.कृ.पी.एस.बी.छपरौला ने महाराज सिंह पुत्र रतन सिंह को अंकन 125000/-ऋण देकर भूमि खा.सं. 463 के ख.नं. 654/0.5450, 745/0.2580 को बन्धक किया। ह.रा.का. 17-11-2005 --- यूनियन बैंक आफ इण्डिया [illegible] ने महाराज सिंह पुत्र रतन सिंह को अंकन 500[illegible] देकर भूमि खा.सं. 463के ख.नं. 654 0.5450, 745/0.2580 को बन्धक किया। ह.रा.का. 19-12-2008 --- आदेशानुसार [illegible] दि.[illegible] 983/16-1[illegible] को आदेश हुआ कि खा.सं. 463 के ख.नं. 745/0.2[illegible]

12/04/2010

[illegible] संख्या : [illegible]

ग्राम कूटांक : 710201116093 ग्राम का नाम : कमेड़ा वारसाबाद परगना : दादरी तहसील : दादरी

जनपद : गौतमबुद्धनगर फसली वर्ष : 1409-1414 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका ... उसकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद
1	2			3	4	5	6	7-12
								है. सम्पूर्ण से विक्रेता ... सिंह ... नि.ग्राम ... नाम खारिज करके क्रेता बलवीर ... स्व. मुन्शी सिंह नि. डी-17 ए. जी. ब्लाक ... दिल्ली का नाम बतौर ... दर्ज हो ... 16-4-2009 --- आदेशानुसार श्रीमान तह.महोदय के आदेश दि.15-12-09के क्रम में ... दि.2-11-09के अनुसार ... टाईपिंग त्रुटि दुरुस्त की जाती है ... ---
					कुल गाटे : 2	कुल क्षे. : 0.8030	38.40	

(हस्ताक्षर)

12/04/2010

पृष्ठ संख्या : P...

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक

[illegible]

[illegible]

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) के सम्बन्ध में

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका खाता संख्या 465 खसरा नम्बर 654 रकबा [illegible] स्थित ग्राम [illegible] परगना [illegible] व तहसील [illegible] जिला [illegible]। मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि मै0 उप्पल चड्ढा हाईटैक डेवैलपर्स प्रा0 लि0 को बेचना है। इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण-पत्र (एन0 ओ0 सी0) की आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी

[illegible]

[illegible]

[illegible] 28-9-2010 [illegible] 5718934/- [illegible]

5-1-2011 [illegible]

[illegible]

सेवा में,
शाखा प्रबन्धक
उ॰ प्र॰ स॰ ग्राम्य विकास बैंक
दादरी

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) के सम्बन्ध में

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका खाता संख्या 462 खसरा नम्बर 654 रकबा ______ स्थित ग्राम ______ परगना दादरी व तहसील दादरी जिला ______ । मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि मै0 उप्पल चड्ढा हाईटैक डेवेलपर्स प्रा0 लि0 को बेचना है। इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) की आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी

[illegible]

30-1-4

935

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक

पी०एन०बी०

हसरौली

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) के सम्बन्ध में

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका खाता संख्या 162 खसरा नम्बर 654 रकबा ______ स्थित ग्राम कनेसरा [illegible] परगना दादरी व तहसील दादरी जिला गौ० बु० नगर ______ । मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि मै0 उप्पल चड्ढा हाईटैक डेवेलपर्स प्रा0 लि0 को बेचना है। इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण-पत्र (एन0 ओ0 सी0) की आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी

महाराजसिंह S/o रतनसिंह

DEC 2010

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AL 442375

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक .... स्थान गाजियाबाद में श्री महाराज सिंह .... पुत्र/पति [illegible] सिंह ....
निवासी ग्राम.................................. परगना..................... तहसील .... व जिला ....

प्रथम पक्ष

एवं

मै0 उप्पल चड्ढा हाईटैक डवलपर्स प्रा0 लि0 पंजीकृत कार्यालय 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फ्रेंडस कॉलोनी नई दिल्ली द्वारा .... पुत्र.........................

द्वितीय पक्ष

विदित हो कि प्रथम पक्ष ग्राम..................................... परगना व तहसील.................. जिला.............................. में स्थित भूमि खाता सं0........................... खसरा सं........... .... कुल रकबा .... हैक्टेयर (अपने सम्पूर्ण भाग) का संक्रमणीय भूमिधर मालिक, काबिज है। राजपत्रों में उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष का नाम दर्ज है कोई अन्य व्यक्ति उक्त भूमि में किसी प्रकार का हकदार व हिस्सेदार नही है। उक्त भूमि पर अविभाजित परिवार का या कोई अन्य पारिवारिक वाद विवाद या कोई केस नही चल रहा है।

महाराज सिंह

प्रथम पक्ष की उक्त भूमि आज की तारीख तक हर प्रकार के कर्जे सरकारी व गैर सरकारी आदि से पाक व साफ है।

यह कि प्रथम पक्ष आज दिनांक .... को अपनी उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय कर दिया है। जोकि सब रजिस्ट्रार दादरी कार्यालय में बही सं0 1 के पुस्तक सं0.............. पृष्ठ.................. पर क्रम सं0 .... पर दर्ज है।

प्रथम पक्ष उक्त विक्रय के फलस्वरुप सम्पूर्ण प्रतिफल की धनराशि द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिये है। यह है कि प्रथम पक्ष को प्रतिफल धनराशि के अलावा उसके सम्पूर्ण हिस्से पर 400 रुपए प्रति वर्गगज के हिसाब से रु0.............../– द्वारा चैक नं. .... दिनांक .... बैंक..................... द्वितीय पक्ष द्वारा दिया जा रहा है जिसके फलस्वरुप निम्नलिखित शर्तों की पाबन्दी दोनों पक्षों व उनके वारिसान पर रहेगी।

1. यह कि विक्रीत भूमि की निर्धारित मूल्य धनराशि अंकन........................ रुपए व उक्त भूमि पर उत्पन्न अन्य किसी भी अनुतोष लाभ या पुनर्वास हेतु आवंटित प्लाट की एवज में प्राप्त होने वाली धनराशि रु. 400 प्रति गज के हिसाब से निर्धारित धनराशि.......................... दोनों पक्षों को मान्य है।

2. यह कि प्रथम पक्ष मौके पर कब्जा द्वितीय पक्ष को करा दिया है।

3. यह कि विक्रीत भूमि पर प्रथम पक्ष का कोई भी हक या अधिकार शेष नही रहा समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये है।

4. यह कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में पुनर्वास योजना के तहत यदि भविष्य में किसी भी प्रकार के भूखण्डों का वितरण शासन या किसी निकाय द्वारा किया जाता है तो उस पर प्रथम पक्ष को कोई अधिकार नही होगा। समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष के होगें। इन अधिकारों के अंतरण हेतु प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से रु..................... द्वारा चैक सं0......................... दिनांक........................ बैंक .... से प्राप्त कर लिये है।

5. यह कि प्रथम पक्ष का विक्रय के फलस्वरुप उक्त भूमि पर लगी फसल, नलकूप या किसी भी परिसम्पत्ति पर कोई अधिकार नही होगा।

महाराजसिंह

अतः यह अनुबन्ध पत्र लिख दिया है ताकि भविष्य में काम आवे।

प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष

गवाह

1.

2.